आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–61/2023

15.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री बिन्द प्रधान एवं अन्य शिकायतकर्त्ता ग्राम–बमनगुट, पो0–केरा, पंचायत–सिमीदीरी, प्रखण्ड–चक्रधरपुर, Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर आयोग कार्यालय में उपस्थित।

आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को प्रतिवेदन भेजा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इस बात का उल्लेख किया है कि सभी शिकायतकर्त्ता द्वारा पिछले छः महिने से राशन का उठाव नहीं किया जा रहा था। जिसके कारण नियमानुसार अयोग्य/अपात्र राशन कार्डधारियों की छँटनी हेतु पत्र एक प्राप्त हुआ था, जिस पर संबंधित जनवितरण प्रणाली दुकानदार/मुखिया/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर का हस्ताक्षर प्राप्त है, जिसके आलोक में छँटनी कार्य किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर जब शिकायतकर्त्ता को इस आशय की जानकारी दी गई तो शिकायतकर्त्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बिल्कुल गलत जानकारी दी है, क्योंकि राशन कार्ड रद्द किये जाने से पूर्व वो नियमित तौर पर राशन का उठाव कर रहे थे। यदि शिकायतकर्त्ता की बात सही है, तो ये एक गम्भीर विषय है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को गलत जानकारी देकर क्या गुमराह करने की कोशिश की है ? ऐसे में आयोग शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो अपने राशन कार्ड की छाया प्रति आयोग को WhatsApp के माध्यम से भेजें और ये भी बतायें कि उनका राशन कार्ड कब रद्द किया गया है और कब तक वो नियमित तौर पर राशन लेते रहे ? इस बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस बीच सभी शिकायतकर्त्ताओं का ग्रीन कार्ड बना दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि का कहना है कि ग्रीन कार्ड में आवंटन आने में दो महिने का वक्त लगेगा। तत्पश्चात् ही राशन उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी से ये जानना चाहता है कि यदि गलत वजहों से या आपसी रंजिश के तहत् शिकायतकर्त्ता का राशन कार्ड रद्द किया गया है तो शिकायतकर्त्ता को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा ? आयोग शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो अभी तत्काल सभी शिकायतकर्त्ता अपने राशन कार्ड की फोटो खींच कर आयोग को प्रेषित करें ताकि आज ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि को हाथो–हाथ राशन कार्ड की प्रति उपलब्ध करायी जा सके। यदि राशन कार्ड में लगातार राशन लेने का प्रमाण प्रमाणित होता है, तो ऐसी स्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायतकर्त्ता को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी और जिस अवधि का राशन उन्हें नहीं मिला है और जबसे राशन

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

मिलना प्रारम्भ होगा उस दौरान उन्हे सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराना होगा। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा रखे गये तथ्य (छः माह से राशन नहीं ले रहे थे) ये प्रमाणित होता है तो फिर आयोग ये मानेगा कि राशन कार्ड रद्द करने की प्रकिया वैधानिक थी।"

मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267